

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251104  
SG-DL-E-03012024-251104असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 357
No. 382]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 357

### भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

सं. 30/2023-राज्य कर

सं. फा. 03(18)/वित्त(व्यय-1)/2023-24/डीएस-I/1085.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

#### 1. पैकिंग मशीनों का विवरण

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस अधिनिसूचना के जारी किए जाने के 20 दिन के भीतर प्ररूप एस. आर. एम.- I में पाउच या कंटेनर को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को तैयार करेगा,-

## प्ररूप एस. आर. एम.— I

क्र.सं.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	कारोबार के स्थान का जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉपुलेट होने के लिए)
---------	---	-----------------------	--	-------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<चार्टर्ड इंजन से क्षमता प्रमाण पत्र >>	

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रजिस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस. आर. एम.— I में पाउच और कंटेनर को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा।

(3) कारोबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे प्ररूप-आईआईए- I में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्ररूप एसआरएम- I या प्ररूप एसआरएम- II क में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(5) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम- I क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहाँ उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम- I क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

## प्ररूप एसआरएम- I क

क्र.सं.	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना >>	

## प्ररूप एसआरएम- II क

[अतिरिक्त मशीनों(नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्र.सं.	मशीन का मेक और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित )	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	कारोबार के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉपुलेट होने के लिए )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<चार्टर्ड इंजीनियर से क्षमता प्रमाणपत्र>>	





मह का दिन																				
	माह के लिए कुल																			

### 3. विशेष मासिक कथन

(1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एस. आर. एम-IV में प्रत्येक माह के लिए विीष कथन प्रस्तुत करेगा।

#### प्ररूप एस. आर. एम-IV

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए आदानों और अंतिम माल का मासिक विवरण

#### भाग-क

महीने के लिए कुल	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड. (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाइयों में)	अंतिम शेष राशि (इकाइयों में)	उत्पन्न अपीष्ट (इकाइयों में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एचएसएन 1								
	एचएसएन 2								
	एचएसएन 3								
	.....								
	एचएसएन								

मास के लिए कुल 1	बिजली रीडिंग						
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग			
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

#### माल के उत्पादन का विवरण

#### भाग-ख

ब्रांड बी. 1											ब्रांड 2	ब्रांड बीए 2	
मशीन एम 1(मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)									एम. 2	एमएल	सभी मशीनों की कुल संख्या		
पैक किए गए पाउच पी 1 की कुल संख्या	पाउच पी.1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य वी 1) (रुपये में)	पाउच की कुल संख्या .. पी.एन. पी.पैकड	पाउच का मूल्य ..... पी. एन.	पाउच पीएन पैक (वीए नं) का कुल मूल्य (रुपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम. 1(पी.1+ वी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1(रु. में) (वी.1+ वी.2.+ .	....	....	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी-1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये में)	.	.	



**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 29th December, 2023

**No. 30/2023-State Tax**

**No. F. 3 ( 18 )/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1085.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely: —

**1. Details of Packing Machines**

- (1) All the existing registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I**, within 30 days of issuance of this notification, electronically on the common portal,—

**FORM SRM-IA**

Serial No.	Make and Model No. of the Machine (including the name of manufacturer)	Date of Purchase of Machine	Address of place of business where installed	No. of Tracks	Packing Capacity of each track	Total packing capacity of machine	Electricity consumption by the machine per hour	Supporting Documents	Unique ID of the machine (to be auto populated)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<<Capacity certificate from Chartered Engineer>>	

- (2) Any person intending to manufacture goods as mentioned in Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of pouches or containers in **FORM SRM-I** on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.
- (3) The details of any additional filling and packing machine being installed in the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within 24 hours of such installation in **FORM SRM-IIA**.
- (4) Upon furnishing of such details in **FORM SRM-I** or **FORM SRM-IIA**, a unique ID shall be generated for each machine, whose details have been furnished by the registered person, on the common portal.
- (5) In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within fifteen days of filing said declaration or submission:

**Provided** that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organization, before the issuance of this notification, the same shall be furnished by the said registered person in **FORM SRM-IA** on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.

**FORM SRM-IA**

Serial No.	Name of Govt. Department/ any other agency or organization	Type of Declaration/ Submission	Details of Declaration/Submission
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<copy of declaration to be uploaded on the portal>>	





	HSN1								
	HSN2								
	HSN3								
	⋮								
	HSNn								
Day 2									

Day 3									
.....									
Last Day of Month									

	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			Generator set meter reading		
	Initial Meter Reading	Final Meter Reading	Consumption(kwH)	Initial Meter Reading	Final Meter Reading	Consumption(kwH)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Day 1						
Day 2						
.....						

Last Day of Month						
-------------------	--	--	--	--	--	--

**FORM SRM-IIIB  
Production Register**

Day 1		<i>Brand B1</i>				<i>Brand B2</i>	<i>Brand Bn</i>
		<i>Machine M1( Mention Unique ID of the machine)</i>		<i>M2</i>	<i>Mn</i>	<i>Total of all machines</i>	⋮



HSN3									
.....									
HSNn									

Total for the Month	Electricity Reading					
	Electricity meter reading			DG set meter reading		
	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kWh)	Initial Meter Reading on Day 1 of the month	Final Meter Reading on last day of the month	Consumption (kWh)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**Statement of production of goods**

**PART-B**

Total for the Month	Brand B1										Brand B2	Brand Bn			
	Machine M1										M2	Mn	Total of all machines	.....	.....
	Total no. of Pouches P1 packed	MRP Value Of Pouch P1	Total Value Of Pouches P1 (V1) (in Rs)	Total no. of Pouches P1	Value Of Pouches P1	Total Value Of Pouches P1 (V1) (in Rs)	Total No. of Pouches Packed by Machine M1 (P1+P2+..Pn)	Total value of Pouches packed By Machine M1 (in Rs) (V1+V2+..Vn)	.....	-	Total Production value of Brand B1 by all machines (Rs)				
<b>Total for the Month</b>															

**SCHEDULE**

S.No	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name

6.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha'
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name

**Explanation.—**

- (1) In this Schedule, "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
- (3) For the purposes of this notification, the phrase "brand name" means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,  
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)